

17/4/18

को पेश हो

17/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण
उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 24/4/18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

24/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण
उपस्थित। एस.डी.आं साहब अन्य कार्य में
व्यस्त हैं प्रमथ पर है। मिसर गत आदेशानुसार
दिनांक 24/5/18 को पेश हो

24/5/18

पत्रावली राजस्व लौक अदालत में
कोर्ट गौडिया का में पेश हुई
पक्षकारक टाचि नही। पत्रावली का
व्याज पूर्वक उपलोकन किया गया।
वकील वादी को बार-बार उपस्थित
हो जाने के बावजूद भी शनि-
दि. 4, 9, 10, 11 की तलबी हेतु आज
तक तलबीका पेश नही किया है।
प्रकरण का निरंतरण मूल वाद में साक्ष्य-
सम्बन्धित होने के बाद होगा। फ्त।
प्रथम दृष्टया मामला सुनिश्चिता अ सेतुलक
व्या. अपूर्णता शक्ति के विन्दु पर्याप्त है
पक्षों पक्षित नही है। शक्ति पर्याप्त
अ प्रक. का द्वारा 212 अ.न. खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंडल सुक. होर. व. व. व.
के का ही मूल वाद के सलकन ही निमित्त
12 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / केंद्र कोर्ट 2018
पान मंचायत... नौकिया